जयपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक :– एफ (जविप्रा) / टीसीबी / 2008–09 / डी– 693 दिनांक : 19-7-08

दिनांक 16.07.2008 को जेडीसी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित 57 वी टी.सी.बी बैठक की कार्यवाही का विवरण

(क) पुराने प्रकरणः–

1 प्राइवेट बस स्टेण्डो को शहर के बाहर स्थानान्तरित करना :–

प्राइवेट बस स्टेण्डों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिये 56वी टीसीबी बैठक में गठित एक कमेटी द्वारा प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा की गई। अन्ततः यह निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में दो स्थानों यथा अजमेर रोड एवं आगरा रोड पर उपयुक्त स्थानों का चयन किया जावें जो कि शहर से अधिक दूरी पर न हो। अजमेर रोड पर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर की अवाप्त भूमि में से भी इस हेतु विचार किया जा सकता हैं।

इस हेतु एक कमेटी का निम्नानुसार गठन किया गया।

1. निदेशक (आयोजना), जविप्रा – संयोजक
2. अति. आयुक्त (भूमि), जविप्रा – सदस्य सचिव
3. पुलिस अधीक्षक यातायात, जयपुर अथवा मनोनित प्रतिनिधि
4. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर अथवा मनोनित प्रतिनिधि
5. श्री प्रमोद भसीन, प्रतिनिधि (मुस्कान संस्था)

उपरोक्त कमेटी भूमि का चिन्हीकरण कर आवश्यकता होने पर भूमि अधिग्रहण करने अथवा लीज पर प्राप्त करने की कार्रवाई 15 दिवस में प्रस्तावित कर प्रस्तुत करेगी।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : यातायात पुलिस अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, रोडवेज, जेडीए एवं नगर निगम

2. व्यावसायिक परिसरों पर पार्किंग व्यवस्था

निदेशक परियोजना द्वारा बताया गया कि 2004 से 2007 तक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किये गये 67 परिसरों को नियमों की अनुपालना के लिये नोटिस जारी किये जा चुके है अतः मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन संबंधित उपायुक्त से सम्पर्क करते हुये अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ करेगें तथा 49वी एवं 50वी बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परिसरों के प्रवेश एवं निकासी पर जविप्रा द्वारा स्वीकृत पार्किंग का पूरा विवरण बोर्ड पर प्रसारित कराने हेतु भी पाबंद करेगें।

संबंधित अधिकारीः निदेशक नगर नियोजन, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन एवं संबंधित उपायुक्त

3 एटीसीएस परियोजना : इस परियोजना को टोंक रोड पर अजमेरी गेट से राम बाग चौराहे तक तथा झोटवाडा रोड पर चांदपोल से पानीपेच तिराहे तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

(ख) 57वी टी.सी.बी. बैठक में रखे गये नवीन प्रकरण :–

1. **सोलर पॉवर से ट्रेफिक लाईट सिग्नल चलाने के सम्बन्ध में :**

बी.ओ.टी. आधारित इस प्रकरण में नगर निगम द्वारा सूचित किया गया है कि वे स्वंय निविदा आमंत्रित कर कार्यवाही कर सकते हैं। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि निगम प्रायोगिक रूप से योजना को प्रारम्भ करे तथा प्राधिकरण, यातायात पुलिस आदि से सम्पर्क कर समस्त पहलूओं पर विचार विमर्श के बाद अन्तिम रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : जयपुर नगर निगम

2 **व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम क्रय करने के सम्बन्ध में :**

व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम क्रय करने की सर्वसम्मति से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। समस्त तकनीकी मापदण्ड/विवरण पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा उपलब्ध कराये जावेगें।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : पुलिस अधीक्षक यातायात

3. **विभिन्न व्यवसायिक परिसारो में पार्किग के सम्बन्ध में :**

कमेटी द्वारा समस्त व्यावसायिक भवनों में कार पार्किग शुल्क 10 रू. व स्कूटर पार्किंग शुल्क 5 रू. रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी। ये शुल्क प्रथम 4 घंटे के लिए मान्य होगें। 4 से 8 घंटे के मध्य शुल्क डेढ़ गुना तथा 8 घंटे पश्चात 2 गुना होगा।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : सचिव, जविप्रा, निदेशक आयोजना, जविप्रा

4. **ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर प्रस्तावित ग्रेड सेपरेटर का प्रस्तुतीकरण :**

ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे का प्रस्तावित ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्देश दिये गये कि अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की जावे। इसके साथ ही गुर्जर की थडी, स्टेडियम चौराहा सांगानेर, सीतापुरा ओद्योगिक क्षेत्र, गोनेर रोड पर दांतली, खिरणी फाटक, दादी का फाटक, बस्सी एवं रेल्वे स्टेशन के पास लोकोशेड पर आर.ओ.बी. /फ्लाई ओवर बनाने के प्रस्ताव 15 अगस्त तैयार करने के निर्देश दिये गये।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : निदेशक (अभियांत्रकी), जविप्रा

5. **रेल्वे स्टेशन, हसनपुरा आरओबी, खासा कोठी फ्लाई ओवर क्षेत्र के यातायात प्रबन्धन का प्रस्तुतिकरण :**

एम.एन.आई.टी द्वारा यातायात प्रबन्धन का प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष किया गया।

6. **सुगम यातायात हेतु गंगा टॉवर के पिछे स्थित पॉवर हाउस की भूमि का अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में :**

सुगम यातायात के लिए प्रथम चरण में रिक्त पडी पॉवर हाऊस की भूमि (सड़क 4.15X10 मी.) का अविलम्ब अधिग्रहण कर सड़क निर्माण की कार्रवाई की जावे। इसके लिए भूमि के बदले भूमि अथवा अन्य नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : उपायुक्त जोन–2

(ग) विविध विषय :

पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा गत तीन वर्षो में सड़क सुधार पर किये गये प्रयास एवं फलस्वरूप दुर्घटनाओं पर आई कमी के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। उनके द्वारा सड़क, तीराहों/चौराहों के विकास, पार्किंग समस्या का निस्तारण, साइनेजेज लगाने, स्पीड ब्रेकर के निर्माण एवं पेन्टिंग कार्य, प्राइवेट बस स्टेण्डों को स्थानान्तरित करने जैसे कई कार्यो की आवश्यकता बताई।

विचार–विमर्श पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

1. **33 सडकों का विकास कार्य :** बी.आर.टी.एस. परियोजना के अंतर्गत आने वाली सड़कों के अतिरिक्त प्रस्तावित 33 सडको के कार्य 15 अक्टूबर तक पूर्ण कराया जावें।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : निदेशक अभियांत्रकी/परियोजना

2. अजमेरी गेट पर सब–वे की डिजायन में यदि कोई सुधार की आवश्यकता हो तो कराया जावें ताकि सब–वे का पूर्ण उपयोग किया जा सकें।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : निदेशक अभियांत्रकी/परियोजना

3. अजमेर रोड पर प्रस्तावित बी.आर.टी.एस. में कुछ समय लग सकता है, अतः क्वीन्स रोड़ से सोडाला, सोडाला से सहकार सर्किल, एवम् सोडाला से अजमेर पुलिया, सहकार सर्किल से रामबाग सर्किल होते हुये इन्दिरा सर्किल की सडक को चौडा कर आवश्यक सुधार किया जावें। क्वीन्स रोड पर स्लिप लेन निर्माण का कार्य भी कराया जावें क्योंकि अभी भूमि रिक्त है।

   संबंधित विभाग एवं अधिकारी : निदेशक आयोजना / अभियांत्रकी

   रामबाग से इन्दिरा सर्किल (भवानी सिंह मार्ग) को 100 फिट चौडा करने में आ रही बाधाओं को दूर किया जाकर कार्यवाही को जावे तथा आवश्यकतानुसार संबंधित भूखण्डधारियों एवं संस्था प्रमुख की एक बैठक आयुक्त, जविप्रा की अध्यक्षता में कराई जावें।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त–जोन–1

4. सहकार सर्किल, सतीश चंद्र अग्रवाल सर्किल, महर्षि सर्किल जैसे अनेक सर्किल को बी.आर.टी.एस. परियोजना में स्थानान्तरित करने का प्रावधान रखा गया है। इन सर्किलों सम्मिलित करते हुये अनेक तीराहे/चौराहे पर भी आवश्यक सुधार करने/स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है। अतः इस कार्य योजना के लिये निम्नानुसार एक कमेटी का गठन किया जाता है जो शहर के महत्वपूर्ण चौराहो/तीराहों में आवश्यक परिवर्तन/सुधार के संबंध में 7 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगीं।

1. निदेशक (आयोजना), जविप्रा – संयोजक
2. निदेशक (अभियान्त्रिकी/परियोजना), जविप्रा
3. पुलिस अधीक्षक (यातायात), जयपुर
4. प्रो. बी.एल. स्वामी, एम.एन.आई.टी., जयपुर
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर नगर निगम, जयपुर

5. गोपालपुरा बाईपास से प्रारम्भ होकर अजमेर रोड तक प्रस्तावित 160 फिट चौडी सड़क (प. टी.एन. मिश्रा) के शेष भाग का निर्माण किया जावें। इसी प्रकार झोटवाडा, वैशाली क्षेत्र को शहर से जोड़ने के लिये वैकल्पिक मार्गो का चयन किया जावें। रेलवे, सेना की भूमि की आवश्यकता होने पर भूमि चयन करते हुये प्रस्ताव तैयार कराया जावें।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : निदेशक आयोजना/अतिरिक्त उपायुक्त (भूमि)

6. ट्रेफिक कंट्रोल बोर्ड से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करने, टी.सी.बी. के लिये ऐजेण्डा तैयार करने इत्यादि के लिये एक 'स्टीयरिंग कमेटी' का गठन टी.सी.बी/2006–07/डी–142 दिनांक 11.12.06 द्वारा किया गया था। माह में कम से कम एक बार उपरोक्तानुसार बैठक करने के निर्देश प्रदान किये गये।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : सचिव, जविप्रा

7. रेलवे से संबंधित समस्त प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु आयुक्त, जविप्रा स्तर पर एक मीटिंग का अविलम्ब आयोजन कराया जावे।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : निदेशक अभियांत्रिकी

8. पुलिस अधीक्षक यातायात को दो पॉल्यूशन मेंजरिंग इन्सट्रूमेंट्स क्रय करने की सहमति भी कमेटी द्वारा दी गई।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : पुलिस अधीक्षक यातायात

9. जगतपुरा मोटर ड्राइविंग स्कूल में प्रस्तावित ट्रेफिक स्कूल की योजना परिवहन विभाग अविलम्ब तैयार कर प्रस्तुत करे। इसका निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जायेगा। जिसकी लागत 50 लाख रूपये होगीं।

संबंधित अधिकारीः प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

10. प्रायः महत्वपूर्ण प्रकरण टीसीबी की बैठक में अनुमोदन के अभाव में काफी समय तक लम्बित रहते है। अतः पुलिस अधीक्षक (यातायात) से प्राप्त प्रस्तावों पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाकर स्वीकृति अध्यक्ष, ट्रेफिक कंट्रोल बोर्ड से पत्रावली पर प्राप्त करने के उपरान्त कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी जिसका अनुमोदन आगामी बैठक में किया जा सकेगा।

संबंधित अधिकारीः जेडीए, पुलिस अधीक्षक यातायात एवं मुस्कान संस्था

मीटिंग का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ किया गया।

—Sd—
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :—

1. महापौर नगर निगम जयपुर
2. कलेक्टर जयपुर
3. परिवहन आयुक्त राजस्थान जयपुर
4. निदेशक आरयूआईडीपी जयपुर
5. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर
6. सलाहकार ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड जविप्रा
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर
8. आयुक्त राजस्व नगर निगम जयपुर
9. पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर
10. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जविप्रा
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर
12. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर
13. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर
14. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जयपुर
15. मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर
16. निदेशक वित्त जविप्रा
17. निदेशक नगर आयोजना जविप्रा
18. निदेशक परियोजना जविप्रा
19. निदेशक अभियांत्रिकी जविप्रा
20. अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रथम/ द्वितीय ~~/ सर्किल अभियंता बीआरटीएस~~, जविप्रा
21. ~~जोनल अभियंता—विद्युत—1~~ सर्किल अभियंता - प्रथम, जविप्रा
22. निजी सचिव आयुक्त जविप्रा
23. निजी सचिव, सचिव जविप्रा
24. सर्किल अभियन्ता —द्वितीय जविप्रा
25. सिस्टम एनेलिस्ट जविप्रा
26. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा
27. जोनल अभियन्ता —9 जविप्रा
28. श्री प्रमोद भसीन मुस्कान संस्था प्रतिनिधि 45, हथरोई अजमेर रोड जयपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण